

प्रेषक,

अलकनंदा दयाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,
30प्र0लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊः

दिनांकः 16 अप्रैल 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अंतर्गत अनुदान संख्या-65 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अंतर्गत अनुदान संख्या-65-लेखा शीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवार्ये-091-संलग्नक कार्यालय-05-अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो के अंतर्गत प्राविधानित कुल धनराशि ₹0 2,15,82,000/- (रूपये दो करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार मात्र) निम्नलिखित मदों में व्यय को वहन करने के लिये श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए अनुमानित धनराशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए निवर्तन पर रखी जा रही स्वीकृत प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01-वेतन	149.15	149.15
2	03-महंगाई भत्ता	8.69	14.92
3	04-यात्रा व्यय	1.00	1.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
5	06-अन्य भत्ते	16.00	16.00
6	07-मानदेय	1.10	1.10
7	08-कार्यालय व्यय	2.00	2.00
8	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.10	1.10
9	12-कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	0.30	0.30
10	13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
11	14-मोटर गाडियो का क्रय	0.10	0.10
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	7.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2.80	2.80
14	26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	1.00
15	29-अनुरक्षण	0.60	0.60
16	42-अन्य व्यय	0.50	0.50
17	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30
18	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
19	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
20	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.25	1.25
21	49-चिकित्सा व्यय	3.00	3.00
22	51-वर्दी व्यय	0.20	0.20
23	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	11.00	11.00
	योग:-	209.59	215.82

(रूपये दो करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार मात्र)

(1) उक्त धनराशि का व्यय निम्नलिखित मदवार फांट के अनुसार किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिए अधिकार प्रदान नहीं करता, अतः जहाँ कहीं आवश्यक हों, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(22) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों हेतु मानक मद 52 में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 22-12-2017 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन के 50 प्रतिशत अवशेषों के भुगतान मानक मद-52 से की जायेगी।

(3) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखा शीर्षक-2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-05-अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,
अलकनंदा दयाल
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-02/2018/वे0आ0-1-323(1)/दस-2018 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
के0एल0 वर्मा
उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।